

पत्र संख्या-विधि-1(1)-जमानत धारा-8-सी-172-(2007-08)/ 2199/0910104 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: मार्च, 26 2010

:-: आदेश :-:

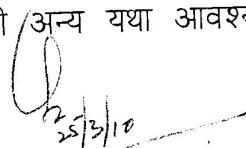
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-19(3) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (निरसित) की धारा 8-सी-(3ए) के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित वस्तुओं के सम्बन्ध में कमिशनर व्यापार कर यह आदेश दे सकते हैं कि उन वस्तुओं के सम्व्यवहारों के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी फार्म जारी करने के पहले नगद जमानत ली जाय। इसी तरह के प्राविधान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 19(3) में भी किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 81(2) (क) के प्राविधानानुसार उक्त आदेश अभी भी प्रभावी है।

2- आदेश संख्या विधि-1(1)-जमानत धारा-8-सी-172-(2007-08)/0910001 दिनांक 1-4-2009 द्वारा रिफाइण्ड आयल के लिए प्रति टन रू० 1600/- की दर से नगद जमा कराने के बाद ही आयात घोषणापत्र / प्रपत्र 38 जारी किये जाने के आदेश दिये गये। मात्रा यदि पूरे-पूरे टनों में अंकित न होकर कुछ अंश में हो तो उस अंश पर भी समानुपातिक रूप से नगद जमानत अपेक्षित है।

3- चूँकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अनुसार रिफाइण्ड आयल अनुसूची 2 के अन्तर्गत आता है। इस पर कर की दर 4 % है। विज्ञप्ति संख्या क०नि०-2-307/ग्यारह-9(10)/08-30प्र०अधि०-5-2008-आदेश-(57)-2010 दिनांक 19-2-2010 के अनुसार इस माल पर 1% का अतिरिक्त कर भी देय है। जनवरी 2010 में रिफाइण्ड आयल का बाजार भाव औसतन रू० 54000/- प्रति मी०टन है। अतः 5 % कर की दर के हिसाब से रिफाइण्ड आयल पर करदेयता रू० 2700/- प्रति टन होती है। ऐसी दशा में उपरोक्त आदेश संख्या विधि-1(1)-जमानत धारा-8-सी-172-(2007-08)/ 0910001 दिनांक 1-4-2009 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि रिफाइण्ड आयल पर प्रति टन रू० 2700/- की दर से नगद जमा कराने के बाद ही आयात घोषणापत्र / प्रपत्र 38 जारी किये जायेंगे।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं। उपरोक्त अंकित आदेश संख्या विधि-1(1)-जमानत धारा-8-सी-172-(2007-08)/0910001 दिनांक 1-4-2009 की अन्य यथा आवश्यक व्यवस्थाएँ यथावत रहेंगी।


(चन्द्रभानु)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर, 30प्र0
- (5) विशेष कमिशनर व्यापार कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, व्यापार कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(30न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0)के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- (41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।

- (46) इन्डियन इण्डो एसो, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०(रजि०)52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ड्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू०पी० ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(वाई०एस० सिंह)

ज्वाइंट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।